उत्तरांचल सरकार

भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सपठित राज्य नियमावली, 2005 के अन्तर्गत गठित कल्याणकारी योजनाओं की मार्गदर्शिका

श्रम विभाग

श्रमायुक्त संगठन

अनुक्रमणिका

1.	प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या–1
2.	संन्निर्माण प्रक्रियायें क्या हैं?	पृष्ठ संख्या–2
3.	कल्याणकारी योजनाओं की एक झलक	पृष्ठ संख्या– 3 से 4
4.	प्रतिष्ठानों/नियोजकों के दायित्व	पृष्ठ संख्या–5 से 7
5.	वास्तुविद्ों, इन्जीनियरों आदि के दायित्व	पृष्ठ संख्या–8
6.	राज्य और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के दायित्व	पृष्ठ संख्या–8
7.	कर्मकारों के दायित्व	पृष्ठ संख्या–8 से 9
8.	अन्य प्रावधान	पृष्ठ संख्या–9 से 10
9.	उपकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधान	पृष्ठ संख्या–10 से 11
10.	कल्याण योजनाओं का विस्तृत विवरण	पृष्ठ संख्या–12 से 20
11.	उत्तरांचल सरकार की कार्यवाही	पृष्ठ संख्या–21 से 23
12.	अधिसूचनायें	पृष्ठ संख्या–24 से 35

आमुख

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों में पूरे देश में लगभग 90 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने वाले ये श्रमिक असुरक्षित और यत्र–तत्र बिखरे पड़े हैं। इनके कार्य की अस्थायी प्रकृति और नियोजन की आकस्मिकता के कारण इन्हें आधारभूत सुविधायें और कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत देय हितलाभ अपर्याप्त रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए बहुत लम्बे समय से एक व्यापक एवं समग्र केन्द्रीय अधिनियम बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसका निर्णय इक्तालीसवें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में 18 मार्च 1995 को लिया गया था। तद्पोरान्त विभिन्न चरणों में भवन कर्मकारों के लिए प्रस्तावित अधिनियम के आलेख पर विधायी विचार विमर्श के उपरांत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया।

अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु रक्षोपाय और कार्यदशाओं को विनियमित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान तो किये ही गये हैं साथ ही उनके हितार्थ विविध कल्याणकारी योजनायें संचालित करने के विधिक प्रावधान भी किए गये हैं, जैसे श्रमिकों के कल्याणार्थ एक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन, कल्याण योजनाओं को संचालित करने के निमित्त कल्याण निधि की स्थापना, परिवार पेंशन, निःशक्तता पेंशन तथा अनुग्रह राशि, कार्य के दौरान मृत्यु होने पर मृतक कर्मकार के आश्रितों को आर्थिक सहायता, सामान्य मृत्यु के समय भी आश्रितों को सहायता और उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता, प्रसूति काल में आर्थिक सहायता, शिक्षा और विवाह हेतु आर्थिक सहायता, औजार क्रय करने हेतु ऋण, भवन क्रय एवं निर्माण हेतु ऋण आदि उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण उपकर अधिनियम, 1996 बनाया गया है, जिसके

अनुसार निर्माणकर्ता सेवायोजक प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर बोर्ड को भुगतान किये जाने का प्रावधान है, जिसका संग्रह राज्य सरकार द्वारा ही किया जायेगा।

अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 बनाये गये हैं, जिसके प्रवर्तन हेतु निरीक्षकों, प्राधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों एवं मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा की जा चुकी है तथा कल्याण योजनाओं को संचालित करने हेतु राज्य कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जा चुका है।

इस अधिनियम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में न केवल विभागीय प्रवर्तन तंत्र की लगनशीलता और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है अपितु निर्माण कार्य के व्यवसाय में लगे सेवायोजक वर्ग की सकारात्मक सोच और सहयोग के बिना अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित गुरूत्तर दायित्वों का निर्वहन कठिन हो सकता है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में लगे सभी सरकारी गैर सरकारी अभिकरण, संस्थायें, सेवायोजकों के संगठन, श्रमिक संगठन और विभागीय प्रवर्तन तंत्र के अधिकारीगण हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में यथाशक्ति सहयोग प्रदान करेंगे।

यहां पर मैं राज्य नियमावली के निर्माण में और इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में सहयोग एवं परामर्श देने हेतु विशेषज्ञ समिति, न्याय विभाग, उत्तरांचल शासन और श्रम विभाग के अधिकारियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी लगन और परिश्रम से यह मार्गदर्शिका आपके हाथों में है।

नृप सिंह नपलच्याल,

प्रमुख सचिव।

सन्देश

मुझे यह जानकर अपार प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ करने का संकल्प लिया गया है, जो निःसंदेह श्रमिकों के उत्थान, राज्य के विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए एक शुभ संकेत है।

किसी भी निर्माण कार्य में या उत्पादन कार्य में श्रमिक का योगदान और उसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उसके बिना सृजन की कल्पना ही अधूरी है। श्रमिकों का योगदान बुनियाद के पत्थर की तरह अदृश्य रहता है। ऐसे ही श्रमिकों के हितार्थ उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर कल्याणकारी योजनाओं के शुभारम्भ पर प्रकाशित मार्गदर्शिका सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस शुभअवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

नारायण दत्त तिवारी
मुख्यमंत्री,
उत्तरांचल सरकार

सन्देश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि असंगठित क्षेत्र के एक बहुत बड़े श्रमिक समुदाय के कल्याणार्थ भारत सरकार द्वारा बनाये गये भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को उत्तरांचल में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग, उत्तरांचल द्वारा राज्य नियमावली निर्मित की गयी है, जिसके अन्तर्गत कल्याण योजनाओं का शुभारम्भ राज्य की स्थापना के पांचवी वर्षगांठ के शुभअवसर पर करने का संकल्प लिया गया है। उत्तरांचल राज्य इस प्रयास में देश के उन कतिपय उल्लेखनीय प्रदेशों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया है, जो निर्माणी श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी कार्यदशाओं में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

अधिनियम के प्रावधान इतने व्यापक हैं कि उनकों अक्षरशः कार्यान्वित करने के लिए एक बड़े एवं कुशल प्रवर्तन तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें सेवायोजकों, वास्तुविद्ों, श्रमिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं उपेक्षित निर्बल वर्ग की चिन्ता करने वाले समाजशास्त्रियों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग वांछनीय है। इस दिशा में प्रस्तुत मार्गदर्शिका सभी के मार्गदर्शन हेतु एक उपयोगी पुस्तिका सिद्ध होगी ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे आशा है कि इस वृहद् कार्य को मूर्त रूप देने में श्रम विभाग के अधिकारी, सेवायोजकगण, श्रमिक बन्धु और संवेदनशील व्यक्तियों एवं संस्थाओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।

शुभकामनाओं सहित।

हीरा सिंह बिष्ट
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री,
उत्तरांचल

सन्देश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर श्रम विभाग, उत्तरांचल के द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हितार्थ भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को राज्य में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य नियमावली बनाकर अधिनियम के प्रवर्तन के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ करने का संकल्प लिया है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उत्तरांचल में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में कार्यरत बहुसंख्यक श्रमिक इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे और प्रस्तुत मार्गदर्शिका सभी सम्बन्धित श्रमिकों, सेवायोजकों एवं अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के पूर्ण मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित।

एम रामचन्द्रन
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

आभार

यह एक सुखद संयोग है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर हम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ कर रहे हैं तथा लोकहित में सम्बन्धित सेवायोजकों, श्रमिकों एवं जनसामान्य के मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शिका प्रकाशित कर रहे हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य नियमावली तथा मार्गदर्शिका तैयार किये जाने से सम्बन्धित महत्ती कार्य में प्रारम्भ से ही प्रकाश स्तभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी और प्रमुख सचिव, श्रम–सेवायोजन महोदय, उत्तरांचल शासन का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा से हमें इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हुई है। मैं शासन तथा विभाग में अपने सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

डा0 पी0 एस0 गुसाईं,
श्रम आयुक्त, उत्तरांचल

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो0 तथा सेवा–शर्तों का विनि0) नियम, 2005
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के

मुख्य प्रावधान

प्रस्तावना

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा ऐसे कर्मकारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर विधिक प्रावधान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तं विनियमन) अधिनियम, 1996** अधिनियमित किया गया। निर्माणी मजदूरों का कार्य आकस्मिक प्रकृति का होता है; मालिक–मजदूर का सम्बन्ध अस्थाई होता है; कहीं–कहीं अनिश्चित कार्य के घण्टे होते हैं; मूलभूत तथा कल्याण सुविधाओं की कमी होती है। वर्तमान में प्रभावी अन्य श्रम अधिनियमों में निर्माणी मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्धित प्रावधानों की अपर्याप्तता के कारण उक्त अधिनियम को केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।

राज्य के असंगठित क्षेत्र के अधिसंख्य निर्माणी श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सुविधाओं को विधिक रूप से सुनिश्चित कराने तथा इन श्रमिकों की अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य में उक्त अधिनियम को लागू करना राज्य की प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा **न्यूनतम साझा कार्यक्रम (ब्डच)** के अन्तर्गत उक्त अधिनियम को देश के सभी राज्यों में प्राथमिकता पर कार्यान्वित करने का संकल्प लिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में एवं दिल्ली सरकार, केरल राज्य, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996** अथवा तत्समान कानून को नियमावली बनाकर पूर्ण–रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तरांचल सरकार द्वारा भी उक्त अधिनियम की धारा–5 के प्रावधानों के अन्तर्गत **विशेषज्ञ समिति** का गठन कर, समिति के परामर्श पर, **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन**

तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 अधिसूचना संख्या 963/टप्प्/ 680–श्रम/2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित कर उत्तरांचल राज्य को इस पंक्ति में सम्मिलित कर दिया गया है।

सन्निर्माण प्रकियाएं क्या है?

इस अधिनियम के अन्तर्गत भवन, गलियारे, सड़के, रेलवेज, ट्रॉमवेज, हवाई पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध व नौका विहार , बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, जल–कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेसन, बांध, नहर, जलाशय, सुरंग, पुल, पाईपलाइन, टॉवर्स, वायरलैस, टेलीविजन, टेलीफोन आदि से सम्बन्धित निर्माण, मरम्मत, रख–रखाव, परिवर्तन, ध्वस्तीकरण आदि कार्यों से सम्बन्धित ऐसे प्रतिष्ठान आवर्त होते हैं, जो सरकार के नियंत्रणाधीन, कॉरपोरेट अथवा फर्म, किसी व्यक्ति विशेष या संगम (ेवबपंजपवद) आदि द्वारा 10 या 10 से अधिक निर्माणी मजदूरों की सहायता से किये जाते हैं किन्तु किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने स्वंय के ऐसे आवासीय भवन, जिसके निर्माण की लागत रू0 10 लाख से अनधिक है, पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। उक्त अधिनियम सपठित राज्य नियमावली के अन्तर्गत **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनायें गठित की गयी हैं,जिनका विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों में दिया गया है। कल्याण बोर्ड के प्रमुख आय स्रोत के रूप में, उपरोक्त निर्माण कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठानों पर उपकर (ब्मे) को अवधारित करने एवं संग्रहित/वसूल करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (ब्मे) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर (ब्मे) नियम, 1998** बनाये गये हैं।

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सन्निर्माण कर्मकारो के लिए गठित कल्याणकारी योजनाओं तथा तत्सम्बन्धी विधिक प्रावधानों की एक झलक

- 10 या 10 से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने वाले भवन और अन्य सन्निर्माण प्रतिष्ठान आच्छादित।
- आच्छादित सभी प्रकार के सन्निर्माण प्रतिष्ठानों का श्रम विभाग में पंजीयन अनिवार्य।
- मा0 मंत्रीजी, श्रम–सेवायोजन की अध्यक्षता में उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित।
- 18 से 60 वर्ष के मध्य आयुसीमा के कर्मकारों का लाभार्थी के रूप में बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य।
- महिला कर्मकार को प्रसूति काल में रू0 1000/– प्रसूति सुविधा।
- 60 वर्ष की आयु पर रू0 150/– मासिक पेंशन तथा पेंशन का आधा अथवा रू0 100/– जो अधिक हो, फैमली पेंशन।
- कर्मकारों के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु रू0 50,000/– तक की अग्रिम राशि, की सुविधा।
- लकवा, कुष्ठ रोग, तपैदिक अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी निःशक्तता पर रू0 150/– मासिक तक निःशक्तता पेंशन तथा रू0 5,000/– तक अनुग्रह राशि।
- नियोजन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0 50,000/– तथा सामान्य मृत्यु की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 15,000/– की आर्थिक सहायता।
- अन्त्येष्टि संस्कार खर्च हेतु मृतक कर्मकार के नामितों/आश्रितों को रू0 1,000/– की स्वीकृति।
- उपचार हेतु रू0 1,000/– तक तथा दुर्घटना में निःशक्त होने पर रू0 5,000/– तक चिकित्सा सहायता।
- कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा आर्थिक सहायता तथा कर्मकार को औजार हेतु रू0 5,000/– तक ऋण सुविधा।
- दो बच्चों तक के विवाह के लिये तथा महिला कर्मकारों को स्वंय के विवाह के लिये रू0 2,000/– की सहायता।

- बोर्ड द्वारा समय–समय पर अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी गठित की जायेंगी।
- सन्निर्माण प्रतिष्ठान के कार्य प्रारम्भ, समापन तथा दुर्घटनाओं की सूचना प्रेषित की जानी अनिवार्य।
- उपकर अधिनियम के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों से निर्माण लागत का 1 : उपकर बोर्ड निधि में जमा किया जाना अनिवार्य ।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो0 तथा सेवा–शर्तों का विनि0) नियम, 2005

सन्निर्माण प्रतिष्ठानों/नियोजकों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान

1. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी

- कार्य प्रारम्भ होने के 60 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अथवा तदोपरान्त 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रपत्र–1 में आवेदन करना तथा रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का पालन करना। (धारा 6 एवं 7 नियम 23, 26 एवं 27)
- अत्याधिक शेार, कम्पन, अग्नि से परित्राण; आपातकालीन कार्य योजना; मोटरों आदि की बाड़ लगाना; अत्यधिक भार का उत्थापन और वहन; स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति; खतरनाक और हानिकारक पर्यावरण; फिसलने, डूबने , गिरने आदि परिसंकट; धूल, गैसें, धूम आदि, नेत्र संक्षारक पदार्थ, नेत्र संरक्षण , सिर का संरक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र, विद्युत परिसंकट, यानीय यातायात, संरचनाओं का स्थायित्व ,गलियारों आदि का प्रदीपन; सामग्री का चट्टा लगाना; मलबे का व्ययन, तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन, सुरक्षा हेलमेटों और जूतों का प्रयोग आदि से सम्बन्धित नियमों का पालन सुनिश्चित करना। (नियम 34 से 54 तक)
- उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण; उत्थापक साधित्र की जांच और कालिक परीक्षण; स्वचालित सुरक्षित भार सूचक; संस्थापन; विंच; बाल्टियों; निरापद कार्यकरण भार की पहचान और चिन्हांकन; उत्थापक साधित्रों एवं उत्थापक गियरों पर लदान; ऑपरेटर का केब या केबिन; उत्थापक साधित्रों को प्रचालन; उत्तोलक; उत्थापक साधित्रों तक पहुँच के साधन और उन पर बाड़ लगाना; डेरिकों की रिगिंग; डेरिक फुट का दृढ़ीकरण ; उत्थापक गियर की संरचना और रख–रखाव; परीक्षण रस्सियां; तापोचार परीक्षण; प्रमाण पत्रों का रजिस्टर आदि विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नियमों का पालन करना। (नियम 55 से 81 तक)
- भवन निर्माण कर्मकार के चलनपथ और ढलानों का प्रयोग; यानों द्वारा प्रयोग रपटों का झुकाव; पहियेदार ठेला आदि का प्रयोग; जल द्वारा परिवहन; डूबने से बचाव; मिट्टी हटाने का उपस्कर यान, विद्युत चलित बेलचे और उत्खनित्र,

बुलडोजर स्क्रेपर, डामर सम्बन्धित सचल मशीनों, समतल करने वाले यन्त्रों, रोड़ रोलर आदि से सम्बन्धित सुरक्षा नियमों का पालन करना। (नियम 82 से 95 तक)

- कंक्रीट संकर्म; ध्वस्तीकरण; उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म; दुरारोह छत का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण; निसैनी और सोपान निशैनी; पकड़ चबूतरा; तख्तों की अस्थाई बाड़; ढालू प्रणाल; सुरक्षा बेल्ट और जाल; संरचनात्मक ढांचा और आकृति निर्माण; चट्टा लगाना और चट्टा हटाना; पाड़; काफर डॉम व नोव कोष्ठक आदि से सम्बन्धित सुरक्षा व्यवस्थाओं/ नियमों का पालन करना। (नियम 96 से 207 तक)
- 500 या उससे अधिक निर्माण कर्मकारों पर सुरक्षा समितियों का गठन करना आदि कार्य । (नियम 208)
- 500 या उससे अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित करने पर सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना। (नियम 209)
- दुर्घटनाओं की रिपोर्ट श्रम विभाग के अधिकारियों, बोर्ड, मुख्य निरीक्षक, कर्मकार के सम्बन्धियों, पुलिस तथा प्रशासन आदि को देना। (नियम 210)
- विस्फोटकों के सम्बन्ध में सावधानी रखना। (नियम 212 एवं 213)
- ढेर लगाने (पाईलिंग) से सम्बन्धित सावधानी/कार्य सुनिश्चित करना। (नियम 214 से 222)
- भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध, एम्बूलेंस कक्ष, एम्बूलेंस गाड़ी, स्टेचर, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं, विषाक्तता या उपजीविकाजन्य रोग की सूचना, प्राथमिक उपचार पेटियां, आपातकालीन सेवाओं/उपचार आदि की व्यवस्था करना। (नियम 223 से 232 तक)
- भारतीय मानक ब्यूरो को निर्माण सामग्री आदि के बारे में सूचना देना। (नियम 233)

2. कार्य के घण्टे, सुख सुविधायें, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि।

- कार्य के निर्धारित घण्टों (9 प्रतिदिन अथवा 48 प्रति सप्ताह), विश्राम अंतराल, साप्ताहिक विश्राम, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिकाल भुगतान, रात्रि की पारियों में

कार्य आदि सम्बन्धी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। (नियम 234 से 237 तक)

- मजदूरी की दरों, अवधि, भुगतान तिथि, निरीक्षक के नाम–पते आदि की सूचना प्रदर्शित करना एवं निरीक्षक को भेजना। (नियम 238)
- 30 दिन पूर्व कार्य प्रारम्भ तथा कार्य समापन की संभावित तिथि आदि की सूचना प्ररूप–प्ट और समापन की सूचना निरीक्षक को भेजना ।(नियम 239)
- कर्मकारों, मस्टरौल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकाल रजिस्टर, रखना एवं वेतन पुस्तिकाएं और सेवा प्रमाण पत्र जारी करना– प्ररूप–ग्ट से ग्प्टं (नियम 240 से 241 तक)।
- प्ररूप–ग्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निरीक्षक को प्रति वर्ष 15 फरवरी तक विवरणी भेजना। (नियम 242)
- शौचालय और मूत्रालय, जल–पान गृह (250 कर्मकार नियोजित करने पर) तथा उसमें खाद्य पदार्थों आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं/नियमों का पालन करना। (धारा–33, नियम 243 से 247)
- 1000 से कम मजदूर नियोजित करने पर 7 तारीख तक तथा 1000 से अधिक मजदूर नियोजित करने पर 10 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना। और तत्सम्बन्धी सूचनायें प्रदर्शित करना आदि। (नियम 248 से 249 तक)

वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान नियम–6

- किसी परियोजना या उसके भाग या किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के डिजाइन के लिये उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिज़ाइनर का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जाता है जो, यथास्थिति, ऐसी परियोजना और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित हैं
- परियोजना से सम्बद्ध वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तिकों द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिज़ाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या प्रक्रिया अथवा सामग्री का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त हो, जो, यथास्थिति, परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम में भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये परिसंकटमय हो ।
- भवन, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं के डिज़ाइन में अन्तर्ग्रस्त वृत्तिकों का यह भी कर्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रख–रखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहाँ अनुरक्षण और रख–रखाव का काम विशेष जोखिम वाला है ।

राज्य और बोर्ड की सेवाओं में व्यक्तियों के दायित्व सम्बन्धी प्रावधान नियम–7

- सरकार या बोर्ड की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का निष्पादन कराने के लिये समय–समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करे

कर्मकारों के कर्तव्य और दायित्व सम्बन्धी प्रावधान नियम–8

- प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो उससे संबंधित हैं और इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में पूर्ण सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है

तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट अपने नियोजक या फोरमैन या प्राधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को करे ।

- कोई भवन निर्माण कर्मकार, जब तक कि सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो या आवश्यकता पड़ने पर के सिवाय ऐसी किसी बाड़, मार्गिका, गियर, निसैनी, हैच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं, जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हो, नहीं हटाएगा या उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की सामप्ति पर, जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी ।
- प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, प्रवेश करने के लिये केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा ।
- भवन निर्माण कर्मकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई शौचालय, मूत्रालय, धोवन स्थल, कैंटीन और अन्य सुविधाओं को वह स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखे ।

<u>अन्य प्रावधान</u>

- अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मुख्य निरीक्षक भवन एवं अन्य सन्निर्माण निरीक्षण द्वारा अथवा उनकी पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य द्वारा या स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी अथवा ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत किसी श्रमिक संघ के पदाधिकारी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है – धारा 54
- उल्लंघनकर्ताओं के लिए सजा, अर्थदण्ड और पेनल्टी का प्रावधान–धारा 47, 48, 49
- कतिपय अपराधों के लिए मुख्य निरीक्षक को अर्थदण्ड अवधारित करने का अधिकार– धारा 50
- उक्त अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक, बोर्ड एवं समितियों के सदस्य सचिव, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, की नियुक्ति का प्रावधान–धारा 6, 9, 19, 42

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रजिस्ट्रीकरण–निरस्तीकरण आदेश, कल्याण बोर्ड में कर्मकार द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के निरस्तीकरण आदेश तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा अवधारित अर्थदण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है। धारा 9, 12 एवं 51

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम एवं सपठित केन्द्रीय नियमावली के मुख्य प्रावधान

आच्छादन

- भवन सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सन्निर्माण प्रतिष्ठान।

उपकर का अवधारण एवं कल्याण बोर्ड को भुगतान

- कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याण कार्यों को संचालित करने हेतु संसाधन के रूप में आच्छादित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों से उपकर अधिनियम, 1996 एवं उसके अन्तर्गत विनिर्मित नियम, 1998 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की दर से उपकर की धनराशि देय होगी – धारा 3
- उपकर आगणन हेतु भूमि का मूल्य तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि सम्मिलित नहीं होगी– नियम 3
- सेस कलेक्टर, उपकर निर्धारण अधिकारी, अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान –धारा 3, 5, 9, 11
- उपकर का संग्रह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेस कलेक्टर द्वारा किया जाना और संग्रह धन का अधिकतम 1 प्रतिशत संग्रह व्यय की धनराशि घटाकर उसका भुगतान राज्य कल्याण बोर्ड को किया जाना – धारा 3, 10
- आच्छादित प्रतिष्ठान के प्रत्येक सेवायोजक द्वारा उपकर का भुगतान निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के 30 दिन के भीतर अथवा उपकर निर्धारण की तिथि से 30 दिन के भीतर सेस कलेक्टर को भुगतान किया जाना, उपकर के अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान– सेस नियम 4, 6, इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों का नक्शा स्वीकृत करने वाली स्थानीय निकाय संस्था के माध्यम से भी प्रतिष्ठान द्वारा उपकर का भुगतान किया जा सकता है–धारा 3,नियम 4

ब्याज, पेनल्टी एवं वसूली आदि

- देय उपकर पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय–धारा 8
- नियोजक द्वारा कार्य प्रारम्भ होने के 30 दिन या सेस भुगतान के 30 दिन के भीतर प्रपत्र 1 में सेस निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी को सूचना भेजना –धारा 4 नियम 6
- उपकर की वसूली सेवायोजक से बतौर भू–राजस्व वसूल किया जाना– धारा 10, नियम 13
- देय उपकर का भुगतान न करने पर उपकर की धनराशि के बराकर की धनराशि तक सेस निर्धारण अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड निर्धारित किया जा सकता है– धारा 9, नियम 12

- उपकर निर्धारण आदेश तथा अदत्त उपकर के सम्बन्ध में अवधारित पेनल्टी आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है–धारा 5 एवं 9, नियम 7, 12 एवं 14
- अधिक भुगतान की गयी उपकर की धनराशि के लिए प्रपत्र 2 में वापसी हेतु आवेदन किया जा सकता है– नियम 8

उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा गठित कल्याण योजनाओं से सम्बन्धित विस्तृत प्रावधान

सदस्यता (नियम 266)

(1) प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार, जिसने आयु के 18 वर्ष पूर्ण कर लिये है किन्तु आयु के 60 वर्ष पूर्ण नहीं किए है, तथा जो विधि द्वारा स्थापित एवं तत्समय प्रवृत किसी कल्याण निधि का सदस्य नहीं है, और जिसने पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, निधि की सदस्यता के लिये पात्र होगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ आयु सम्बन्धी प्रमाण के रूप में अधोलिखित विनिर्दिष्ट हों,

(प) विद्यालय से प्राप्त अभिलेख,

(पप) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाणपत्र,

(पपप) उपरोक्त प्रमाणपत्रों के न होने पर किसी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(3) नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र जिससे पुष्टि हो कि आवेदक सन्निर्माण कर्मकार है, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तब किसी रजिस्ट्रीकृत भवन सन्निर्माण कर्मकार संघ का अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त द्वारा प्रदत् प्रमाणपत्र अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार जो निधि के लिये फायदाग्राही होने की पात्रता रखता हो, निर्धारित प्ररूप संख्या ग्टसप् में आवेदन, बोर्ड सचिव अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ इस नियम में उल्लिखित दस्तावेज तथा 25/– (रूपया पच्चीस) रजिस्ट्रीकरण फीस भी देय होगी ।

(5) जहाँ बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का सम्यक जाँच के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट पात्रता की शर्तें पूरी करता है, वह ऐसे निर्माण कर्मकार को सदस्य के रूप में रजिस्टर करेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन लिए गए विनिश्चय के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम समझा जायेगा ।

(7) निर्माण कर्मकार प्ररूप ग्टसप्प् में नामांकन पत्र भी दाखिल करेगा । विवाहोपरान्त यह नामांकन उसके पति या पत्नी के नाम संशोधित किया

जा सकेगा अथवा कुटुम्ब की स्थिति में कोई कानूनी परिवर्तन होने पर संशोधित किया जा सकेगा ।

(8) सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक फायदाग्रही को प्ररूप ग्ग्प्स में एक फोटो पहचान पत्र जारी करेगा, जिसमें फायदाग्राही का फोटो चिपका होगा तथा जारी किये गये पहचान पत्रों का अभिलेखन निर्धारित पंजिका प्ररूप ग्ग्सस्प पर रखेगा ।

निधि में अभिदाय (नियम 267)

(1) प्रत्येक फायदाग्राही 20/– रूपया मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा। अभिदाय बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहां लाभार्थी निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये बैंकों में से किसी बैंक में, प्रत्येक त्रैमास पर अग्रिम में प्रेषित करेगा ।

(2) यदि कोई फायदाग्राही लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तब वह फायदाग्राही नहीं रह जायेगा । परन्तु सचिव अथवा इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से फायदाग्राही की सदस्यता प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यदि अभिदाय की बकाया धनराशि दो रूपया प्रतिमाह की दर से जुर्माने के साथ जमा की जाए, किन्तु यह प्रत्यावर्तन दो बार से अधिक आवृति पर न होगा ।

विवरणियां दाखिल करना नियोजक का कर्तव्य (नियम 268)

(1) प्रत्येक नियोजक, इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से 15 दिन के भीतर बोर्ड के सचिव को समेकित विवरणी भेजेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार सन्निर्माण कर्मकारों को दिये जा रहे मूल वेतन, भत्ते तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान किये जाने पर खर्च की गई धनराशि, यदि कुछ हो, सम्मिलित होगा।

(2) प्रत्येक नियोजक, माह की 15 तारीख से पूर्व बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरण प्ररूप–ग्ग में प्रेषित करेगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के हकदार कर्मकारों तथा ऐसे कर्मकारों का विवरण अंकित होगा जो विगत माह में नौकरी छोड़कर चले गये हैं ।

(3) प्रत्येक नियोजक अपने संस्थापन के सम्बन्ध में बोर्ड के सचिव अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप–ग्गप में विवरणी भेजेगा, जिसमें संस्थापन की शाखाओं, संचालकों, प्रबन्धकों, अधिभोगियों, भागीदारों, व्यक्ति/व्यक्तियों की, जिनका स्थापन के कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष या अन्तिम नियंत्रण है, विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ।

अभिलेखों तथा रजिस्टरों का रखा जाना तथा प्रस्तुत किया जाना (नियम 269)

(1) प्रत्येक नियोजक एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निर्माण कर्मकारों से सम्बन्धित विशिष्टियां अंकित होगी तथा एक रजिस्टर अभिदाय के

सम्बन्ध में ऐसे प्ररूप में रखा जायेगा जो बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाय।

(2) जब कभी बोर्ड का सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी नियोजक से व्यक्तिशः लिखित सूचना द्वारा निर्माण कर्मकार से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे तब नियोजक सम्बन्धित अधिकारी को ऐसे अभिलेख निरीक्षण के लिये उपलब्ध करायेगा और यदि अभिलेख तत्काल वापस नहीं किये जाते हैं तब निरीक्षणकर्ता अधिकारी, उसके द्वारा इस प्रकार रखे गये अभिलेखों की एक रसीद जारी करेगा ।

किसी विद्यमान निधि में संचित रकम का अन्तरण (नियम 270)

(1) किसी कर्मकार के द्वारा इस निधि की सदस्यता ग्रहण करने पर उसके पक्ष में विद्यमान किसी निधि में संचित रकम का अन्तरण सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

(2) अन्य कल्याण निधि से सम्बन्धित प्राधिकारी, बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को एक विवरणी प्रेषित करेगा, जिसमें ऐसे सदस्य के नाम कुल जमा पूंजी की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो अन्तरण की तिथि पर उसके नाम जमा थी जैसा कि उपनियम (1) में दिया गया है तथा अग्रिम के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि, यदि कोई हो, का विवरण भी दिया जायेगा ।

प्रसूति प्रसुविधा (नियम 271)

प्रत्येक महिला कर्मकार, जो निधि के अन्तर्गत फायदाग्राही है, को प्रसूति की अवधि के दौरान रूपया 1000/– प्रसूति प्रसुविधा दी जायेगी। इस प्रसुविधा हेतु उसके द्वारा प्रपत्र ग्ग्प्ट में आवेदन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ बोर्ड के सचिव को दिया जायेगा ।

परन्तु यह प्रसुविधा दो बार से अधिक अनुमन्य नहीं होगी ।

पेंशन के लिये पात्रता (नियम 272)

इस निधि का प्रत्येक सदस्य, जो निर्माण श्रमिक के रूप में न्यूनतम अवधि एक वर्ष से नियोजित रहते हुये इस नियमों के लागू होने की तिथि पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पेंशन के लिये पात्र होगा । पेंशन की देयता उस आगामी माह की प्रथम तिथि को हो जायेगी, जिसमें उसने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।

पेंशन संदाय के लिए प्रक्रिया (नियम 273)

(1) पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या ग्ग्ट में बोर्ड के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी को दिया जायेगा ।

(2) यदि बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय में आवेदक पेंशन के लिए पात्र है, तो वह पेंशन स्वीकृत कर, पेंशन स्वीकृत सम्बन्धी आदेश आवेदक को प्रेषित करेगा ।

परन्तु कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता है ।

(3) यदि यह पाया जाता है कि आवेदक पेंशन के लिये पात्र नहीं है, तब आवेदन अस्वीकार किया जायेगा और तद्नुसार आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

(4) आवेदक आदेश प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर उप नियम (3) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चय के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

परन्तु अपील दायर करने में एक वर्ष तक की अवधि के विलम्ब को बोर्ड पर्याप्त लिखित कारणों के साथ क्षमा कर सकता है ।

(5) पेंशन की राशि एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह होगी । पांच वर्ष बाद इसमें दस रूपये की वृद्धि सेवा के प्रति एक वर्ष पूर्ण करने की दर से की जायेगी । बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात पेंशन को पुनरीक्षित कर सकता है ।

(6) पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी प्ररूप ग्ग्टस में एक रजिस्टर रखेगा ।

भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु अग्रिम (नियम 274)

(1) किसी सदस्य द्वारा आवेदन किये जाने पर बोर्ड पचास हजार रूपये से अनाधिक धनराशि अग्रिम के रूप में मकान की तुरन्त खरीद अथवा निर्माण के लिये स्वीकृत कर सकता है । फायदाग्राही प्ररूप ग्ग्सग में आवेदन के साथ ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई अग्रिम धनराशि ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत नहीं की जायेगी जो निरन्तर पांच वर्षों से निधि का सदस्य नहीं है तथा जिसकी अधिवर्षता के लिए 15 वर्ष से कम समय शेष है ।

(3) अग्रिम आहरित होने की तिथि से 6 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किश्तों में की जायेगी ।

निःशक्तता पेंशन (नियम 275)

(1) बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुघर्टना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गया है, एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन स्वीकृत कर सकता है । इस पेंशन के अतिरिक्त वह पांच हजार रूपये से अनधिक अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होगा जो निःशक्तता के प्रतिशत तथा बोर्ड द्वारा विनिश्चित किसी शर्त के अधीन होगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निःशक्तता पेंशन और अनुग्रह संदाय के लिए आवेदन, ऐसे प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ, जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किये जाये, प्ररूप गगगग्ग में किया जायेगा।

औजार क्रय करने के लिए ऋण (नियम 276)

निधि के सदस्य को पांच हजार रूपये तक की राशि औजारों को क्रय करने के लिए ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है । ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में

अपनी सदस्यता 3 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रूप से करते हैं, इस ऋण के लिये पात्र होंगे । फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिये। ऋण की धनराशि की वसूली साठ किश्तों से अधिक में नहीं की जाएगी । इस ऋण हेतु आवेदन प्ररूप संख्या ग्स में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा ।

अन्त्येष्टि–सहायता का भुगतान (नियम 277)

बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए एक हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिये आवेदन प्ररूप ग्स्प में प्रस्तुत किया जायेगा ।

मृत्यु पर सहायता का संदाय (नियम 278)

बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामितों/आश्रितों को पन्द्रह हजार रूपये की मृत्यु सहायता के रूप में संदाय स्वीकृत कर सकता है। यदि मृत्यु नियोजन के दौरान घटित दुघर्टना से कारित हुई हो तब सदस्य के नामिती/आश्रितों को मृत्यु सहायता के रूप में पचास हजार रूपया दिया जायेगा ।

मृत्योपरांत सहायता (नियम 279)

(1) कोई नामिती जो इन नियमों के अन्तर्गत मृत्योपरान्त देय सहायता के लिये हकदार हैं, बोर्ड के सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्ररूप संख्या ग्ग्टसप में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ मृत्यु के सम्बन्ध में/ दुघर्टना जनित मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सक से प्राप्त कर एवं अन्य दस्तावेज, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक की पात्रता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है ।

(3) यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किया है वह इस लाभ को पाने का लिये पात्र है, तब वह सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(4) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस निमित प्ररूप ग्ग्टससप में एक रजिस्टर रखेगा ।

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत लिये गये किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उस उपनियम के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम माना जाएगा ।

फायदाग्राहियों को चिकित्सा सहायता (नियम 280)

बोर्ड ऐसे फायदाग्राही को, जो दुघर्टना या बीमारी के कारण 5 या अधिक दिनों से चिकित्सालय में भर्ती है, को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकता है । आर्थिक सहायता की राशि प्रथम पांच दिनों के लिए दो सौ रूपया तथा तत्पश्चात शेष दिनों में 25/– रूपया प्रतिदिन किन्तु अधिकतम एक हजार रूपया तक सीमित रहेगी । यह सहायता उस फायदाग्राही को दी जा सकेगी जो दुघर्टनाग्रस्त होने पर पलास्टर पट्टी में अपने घर पड़ा है । यदि निःशक्तता दुघर्टना से कारित हुई हो, तब कर्मकार पॉच हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा किन्तु यह निःशक्तता के प्रतिशत पर निर्भर करेगा। इस हेतु आवेदन प्रारूप संख्या ग्स्सप या ग्स्टप पर ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करें ।

शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता (नियम 281)

सदस्यों के बच्चे ऐसी आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा तथा शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में लागू होगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जायें । ऐसा आवेदन प्ररूप सं0 ग्स्प्प् में ऐसे दस्तावेजों के साथ और ऐसे समय के भीतर जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रस्तुत किया जायेगा।

विवाह हेतु आर्थिक सहायता (नियम 282)

ऐसे निर्माण कर्मकार जो निरन्तर 3 वर्ष से सदस्य हैं, अपनी संतान के विवाह हेतु दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी । यह सहायता फायदाग्राही को दो संतानों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जाएगी । इस हेतु आवेदन प्ररूप संख्या ग्स्प्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

कुटुम्ब पेंशन (नियम 283)

पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में कुटुम्ब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को दी जाएगी । पेंशन की धनराशि, पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की गयी पेंशन का 50 प्रतिशत अथवा एक सौ रूपये जो भी अधिक हो, निश्चित होगी । इस हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 3 माह के भीतर प्ररूप की संख्या ग्स्ट में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

अग्रिम धन और ऋण की वसूली (नियम 284)

अग्रिम धन और ऋण की वसूली के सम्बन्ध में बोर्ड को शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां होंगी ।

मृत सदस्य के अभिदाय की वापसी (नियम 285)

(1) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके नाम संचित अभिदाय की धनराशि उसके नामिती को दी जायेगी । नामिती न होने की दशा मे यह धनराशि उसके विधिक वारिसों में समान हिस्सों में संदत्त की जायेगी ।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत देय सभी आर्थिक सहायताएं, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता तथा दुघर्टना के समय मिलने वाली चिकित्सकीय सहायता को छोड़कर, कर्मकार के द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के एक वर्ष पश्चात ही संदेय होगी ।

जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के संदाय के लिए धन का प्रत्याहरण (नियम 286)

(1) निधि के सदस्य को जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु, उसके नाम निधि में उपलब्ध अवशेष से धनराशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । इस प्रयोजन के लिये धनराशि का आहरण वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा ।

(2) पालिसी से सम्बन्धित पूर्ण विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में सचिव को प्रस्तुत की जायेगी जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(3) प्रीमियम भुगतान के लिए वस्तुतः अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि सदस्य के नामें अवशेष में से स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

निधि के पक्ष में बीमा पालिसी का समनुदेशन (नियम 287)

(1) धनराशि के प्रत्याहरण के 6 माह के भीतर बीमा पालिसी, बोर्ड के सचिव को निकाली गई धनराशि की प्रतिभूति के रूप में समानुदेशित की जायेगी ।

(2) किसी पुरानी पालिसी को धारित करते हुए उसके प्रीमियम के भुगतान हेतु आरहण की स्वीकृति प्रदान करते समय बोर्ड सचिव, जीवन बीमा निगम से यह सुनिश्चित कर लेगा कि वह बीमा पालिसी किसी विललंगम से मुक्त है अथवा नहीं ।

(3) एक बीमा पालिसी का दूसरी बीमा पालिसी में अन्तरण करते समय पालिसी में कोई भी परिवर्तन बोर्ड सचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा तथा बीमा पालिसी में परिवर्तन सम्बन्धी विशिष्टियां अथवा नई पालिसी में अन्तरण किये जाने की सूचना ऐसे प्ररूप में बोर्ड सचिव को प्रेषित की जायेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाय ।

(4) यदि पालिसी इस प्रकार समानुदेशित और न्यस्त नहीं की गयी है , तब बीमा पालिसी के नामे निधि से आहरित की गयी प्रत्येक धनराशि को सदस्य तुरन्त निधि को ब्याज सहित उसी दर से वापस करेगा जो बोर्ड द्वारा सरकार से परामर्श करने के पश्चात नियत की जायेगी ।

बीमा पालिसी की वापसी (नियम 288)

बोर्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा पालिसी को लौटा देगा यथा,

(प) सदस्य द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्थायी रूप से सेवा त्याग ।

(पप) किसी शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता के कारण स्थाई रूप से सेवा त्याग ।

(पपप) सेवा त्यागने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर ।

(पअ) सदस्य द्वारा सेवा परित्याग से पूर्व पालिसी का परिपक्व होना अथवा किसी अन्य रूप में सदस्य का संदाय प्राप्ति के लिए हकदार हो जाना ।

लेखा (नियम 289)

(1) प्रशासनिक व्यय के सिवाय सभी ब्याज, किराया तथा वसूल की गई कोई अन्य आय तथा निवेश पर समस्त लाभ या हानि, यदि कोई है यथास्थिति– **'ब्याज उचन्त खाते'** में जमा उधार अथवा नामे–खर्च, दर्ज की जायेगी।

(2) बोर्ड का सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को या किसी अन्य तिथि को जैसा सरकार विनिर्दिष्ट करें, सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके साथ निधि के अन्तर्गत आस्तियों का एक वर्गीकृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया जायेगा।

धन का विनिधान (नियम 290)

निधि से सम्बन्धित सभी धनराशि का विनिधन राष्ट्रीयकृत बैंकों या अनुसूचित बैंकों अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1882) की धारा 20 के खण्ड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जायेगा ।

निधि का उपयोग (नियम 291)

निधि से धन का खर्च सरकार की पूर्व सहमति के बिना अधिनियम और नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के सिवा किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

निधि से व्यय (नियम 292)

(1) निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्च, बोर्ड के सदस्यों की फीस और भत्ता, यात्रा–भत्ता, सम्पूरक भत्ते, भारित भत्ते, पेंशन अभिदाय एवं कर्मचारीगणों की सुविधाओं पर व्यय, बोर्ड की विधिसम्मत आवश्यकताओं तथा स्टेशनरी के खर्चे, निधि के प्रशासनिक लेखा से वहन किए जायेंगे।

(2) निधि के प्रशासन पर सरकार द्वारा खर्च धनराशि ऋण के रूप में प्रशासनिक लेखा से प्रतिदत्त की जायेगी ।

बोर्ड के क्रिया कलापों के सम्बन्ध में रिपोर्ट (नियम 293)

बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृत कार्यवाहियों से सम्बन्धित रिपोर्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात आगामी वर्ष की 15 जून से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी तथा सरकार को उसी वर्ष 31 जुलाई से पूर्व प्रेषित की जायेगी ।

रजिस्टरों एवं रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत किया जाना (नियम 294)

बोर्ड का सचिव, रजिस्टरों की प्रतियां तथा निधि की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां किसी नियोजक या निधि के सदस्य द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किए जाने तथा बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर सरकार के अनुमोदन से उपलब्ध करायेगा ।

बकाया रकम की वसूली (नियम 295)

यदि कोई रकम किसी नियोजक या सदस्य की ओर बकाया है, तब बोर्ड का सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बकाया धनराशि की सुनिश्चित जानकारी लेने के पश्चात, उस रकम की वसूली हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर को प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर उक्त धन की वसूली भूराजस्व के रूप में देय बकाये के रूप में करेगा।

नोटः–उक्त विवरण मार्गदर्शिका मात्र है। कृपया विस्तृत, पूर्ण एवं और अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए संदर्भित अधिनियमों एवं नियमों को देखें।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य सरकार के दायित्वों/शक्तियों के निर्वहन करते हुए अद्यावधिक कार्यवाही

उत्तरांचल राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं को सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 राज्य में यथाशीघ्र कार्यान्वित करने हेतु शीर्ष प्राथमिकता दी गई। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तथा इस निमित **मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित ैचमबपंस ळतवनच की दिनांक 18.2.05 को मसूरी में तथा दिनांक 29/30.6.05 को त्रिवेन्द्रम (केरल) में आयोजित बैठकों में भाग लेते हुए उत्तरांचल सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही अपनायी गयी** जिसके क्रम में अब तक निम्नलिखित कार्य पूर्ण कर लिया गया हैः–

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 2196/श्रम– सेवा /680–श्रम/2003 दिनांक 5 नवम्बर, 2003 एवं अधिसूचना संख्या–3531/श्रम सेवा/680–श्रम/2003 दिनांक 12 नवम्बर, 2003 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर उत्तराचल सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 40 एवं 62 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005** अधिसूचना संख्या 963/ट्प्प्/680–श्रम/2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित की गयी है।
2. अधिनियम की धारा 62 (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 को **मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन द्वारा विधान सभा के पटल पर दिनांक 20.10.2005 को रखा गया।**
3. अधिनियम की धारा 6 सपठित नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सन्निर्माण प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं उप श्रमायुक्तों को सम्पूर्ण राज्य

के लिये अधिसूचना संख्या 687/टप्प्/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **रजिस्ट्रीकरण अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होने पर ऐसे आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा **9** के अन्तर्गत श्रमायुक्त उत्तरांचल, हल्द्वानी तथा अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को सम्पूर्ण राज्य के लिये अधिसूचना संख्या 690/टप्प्/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **अपीलीय अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

5. अधिनियम की धारा 42 (3) के अन्तर्गत श्रम विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून, समस्त उप श्रमायुक्तों, समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को सम्पूर्ण राज्य के लिये अधिसूचना संख्या 689/टप्प्/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **निरीक्षक** नियुक्त किया गया है।

6. अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमायुक्त उत्तरांचल को अधिसूचना सं0 688/टप्प्/1063–श्रम/2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा **मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण निरीक्षण** के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 18 सपठित नियमावली के नियम 251 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हितार्थ अधिसूचना संख्या 2178/टप्प्/84–श्रम/05 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा **उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है, जिसके **मा0 अध्यक्ष मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन हैं**।

8. अधिनियम की धारा 4 सपठित राज्य नियमावली के नियम 17 के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को अधिसूचना संख्या 2171/टप्प्/108–श्रम/2005 दिनांक 7.11.2005 द्वारा **राज्य सलाहकार समिति का सचिव** नियुक्त किया गया है।

9. अधिनियम की धारा 18, 19 सपठित राज्य नियमावली के नियम 263 के अन्तर्गत अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को अधिसूचना संख्या

2191/टप्प्/108–श्रम/2005 दिनांक 7.11.2005 द्वारा **उत्तरांचल भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव** नियुक्त किया गया है।

10. शासनादेश संख्या 2175/टप्प्/680–श्रम टी0सी0–प्/02 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, समस्त मण्डलायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्याधिकारी, समस्त राजकीय निगम, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तरांचल एवं समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को उपरोक्त अधिनियम तथा नियमावली के मुख्य–मुख्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए, उन्हें तत्परता से इसका कियान्वयन किये जाने और प्रगति सूचना से श्रम विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
11. अधिनियम की धारा 4 सपठित नियम 10 के अन्तर्गत **राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता** के लिए **दो मा0 विधायकगण** को निर्वाचित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए समिति के गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
12. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 सपठित **उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 के नियम 251** के अन्तर्गत गठित **उत्तरांचल भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** द्वारा सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याणार्थ संचालित किये जाने वाले कल्याण कार्यों के लिये आय प्राप्ति हेतु अन्य मदों के साथ–साथ **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996** की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ैढ 2899 दिनांक 26.9.1996 के अनुसार निर्धारित (चमबपपिमक) निर्माण लागत के 1 : के बराबर उपकर की धनराशि निर्धारित (मे) किये जाने हेतु ब्मे ।मेपदह वपिबमतेए ब्मे ब्वससमबजवते एवं ।चचमससंजम ।नजीवतपजल की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग
संख्याः 2196 /श्रम सेवा/680 –श्रम/2003
देहरादून : दिनांक : 5 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

दि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के अन्तर्गत नियमावली, विनिर्मित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत निम्नवत एक्सपर्ट कमेटी के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो महाप्रबन्धक स्तर से कम का न हो, तथा जिन्हें निर्माण कार्य का विशिष्ट ज्ञान हो।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल।
3. श्री कृष्ण कुमार, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी।
4. महाप्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0, ऋषिकेश।
5. श्री रमेश चन्द्र जैन, उत्तरांचल चैम्बर ऑफ कामर्स, देहरादून।
6. श्री भगवान सिंह रावत, 193–ओल्ड डालनवाला, देहरादून (ट्रेड यूनियन श्रमिक प्रतिनिधि)
7. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी इस कमेटी के सदस्य–सचिव होंगे। उक्त समिति एक माह में अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करेगी।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 2196 (1)/श्रम सेवा/680 – श्रम/2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमेटी के उक्त समस्त सदस्यगण।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी साधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।साथ ही वांछित प्रतियां भी शासन को उपलब्ध करा दें।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(के0 एस0 दरियाल)
अपरसचिव ।

उत्तरांचल शासन
श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग
संख्याः 3531 /श्रम सेवा/680 –श्रम/2003
देहरादून : दिनांक : 12 नवम्बर, 2003

शुद्धि–पत्र

दि बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ इम्पलॉयमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के अन्तर्गत नियमावली, विनिर्मित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन शासन की अधिसूचना संख्या 2196/श्रम सेवा/680–श्रम/2003 दिनांक 5 नवम्बर, 2003 द्वारा किया गया है। इस अधिसूचना में श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी को इस कमेटी का सदस्य–सचिव नियुक्त किया गया है, के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

'' श्रमायुक्त, उत्तरांचल इस कमेटी के चेयरमैन तथा अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून सदस्य–सचिव होंगे। ''

2– उक्त अधिसूचना इस सीमा तक ही संशोधित समझी जाय।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 3531/श्रम सेवा/680 – श्रम/2003 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमेटी के उक्त समस्त सदस्यगण।
2. श्रमायुक्त/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल।
3. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त शुद्धि–पत्र को आगामी साधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/–
(के0 एस0 दरियाल)
अपरसचिव ।

उत्तरांचल शासन

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संख्याः /टप्प्/1063–श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
सभी उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल ।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 687/ टप्प्/1063 – श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव ।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग

संख्याः /टप्प्/1063 –श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन अपीलीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
श्रमायुक्त, उत्तरांचल/अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 690 /टप्प्/1063– श्रम/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव ।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग

संख्याः /टप्प्/1063 –श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा निर्दिष्ट अधिकारिता में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उनके अधीन निरीक्षकों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अनुसूची

अधिकारी	अधिकारिता
1	2
(1) अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल,गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून । (2) सभी उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल । (3) सभी सहायक श्रमायुक्त, उत्तरांचल । (4) सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी/ मुख्य अन्वेषक, उत्तरांचल।	सम्पूर्ण उत्तरांचल

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 689 /टप्प्/1063 – श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव
।

उत्तरांचल शासन

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण वि0 एवं प्रौ0 विभाग

संख्याः / टप्प्/1063 –श्रम/2005

देहरादून : दिनांक : 15 अप्रैल, 2005

<u>अधिसूचना</u>

महामहिम राज्यपाल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन श्रमायुक्त, उत्तरांचल को तत्काल प्रभाव से मुख्य निरीक्षक, भवन और अन्य संनिर्माण निरीक्षण के रूप में नियुक्त करते हैं ।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 688 / टप्प् /1063 – श्रम/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
2. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
3. उप/सहायक श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून ।
4. उप/सहायक श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी ।
5. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/–
(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव ।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः 2178 /टप्प्/84–श्रम/05
देहरादून दिनांक 31 अक्टूबर, 2005
अधिसूचना

श्री राज्यपाल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 तथा उसकी उपधारा (3) के साथ पठित उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निम्न प्रकार गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1–अध्यक्ष	मा0 मंत्री जी, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तरांचल।
2–केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य	अनुसचिव, डी0जी0 (एल0डब्लू0 कार्यालय), जैशलमेर हाउस, मानसिंह रोड़ नई–दिल्ली ।
3– राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन (2) सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन (3) मुख्य निरीक्षक, निरीक्षण, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 उत्तरांचल, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी ।
4–सेवायोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता से निम्न न हो। (2) श्री राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स जय प्रकाश ऐसोशिएट्स, 113–राजपुर रोड, देहरादून । (3) श्री मोहन सिंह बिल्डर ,फालतू लाईन, देहरादून ।
5– श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति	(1) श्री पुरुषोत्तम रावत, भागीरथी पुरम, नई टिहरी (2) श्रीमती रईसा फातिमा पत्नी श्री गुड्डन, भगत सिंह कालोनी देहरादून । (3) श्री लवेन्द्रसिंह चिलवाल, सुभाषनगर, हल्द्वानी ।

2– राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं, कि उक्त कल्याण बोर्ड शाश्वत् उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा, बोर्ड की एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे उक्त नाम से वाद लाने तथा उस पर वाद लाये जाने की शक्ति भी निहित होगी।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2178(1)/टप्प्/84–श्रम/05 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण, उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तरांचल।
6. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
7. अपर श्रमायुक्त, देहरादून।
8. उपश्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूं क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी।
9. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को उक्त अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित कर, 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/–
(सोहन लाल)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः /टप्प्/108–श्रम/2005
देहरादून दिनांक 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। राज्य सलाहकार समिति, उत्तरांचल के सचिव उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–साथ करेंगे ।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक 2171 /टप्प्/108–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण ।
2– सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली ।
3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
4– श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
5– सम्बन्धित अधिकारी।
6– अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढवाल–क्षेत्र, देहरादून ।
7– उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
8– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(सोहनलाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः /टप्प्/108–श्रम/2005
देहरादून दिनांक 7 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 263 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव तत्काल प्रभाव से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका अनुमोदन उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से करा लिया जाय। बोर्ड के सचिव उक्त नियमावली के अन्तर्गत प्राविधानित शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन अपने वर्तमान पद के साथ–साथ करेंगे ।

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक 2191/टप्प्/108–श्रम/2005 तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण ।
2– सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई–दिल्ली ।
3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
4– श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी ।
5– सम्बन्धित अधिकारी।
6– अपर श्रमायुक्त उत्तरांचल, गढवाल–क्षेत्र, देहरादून ।
7– उप श्रमायुक्त, कुमायूं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/देहरादून।
8– गार्ड–फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(सोहनलाल)
अपर सचिव।

संख्याः 2175/टप्प्/680–श्रमटीसी–प/02

प्रेषक,

श्री नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सभी मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. सभी जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम।
6. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तरांचल।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषयः– उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन की पांचवीं वर्षगांठ के शुभअवसर पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक बल के नियोजन तथा सेवा शर्तों के विनियमन, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कल्याणकारी उपाय करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को राज्य में कार्यान्वित करने हेतु समुचित सरकार (।चचतवचतपंजम ळवअमतदउमदज) के रूप में अधिनियम की धारा 40 और धारा 62 के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार द्वारा **उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005** बनाये गये हैं, जो शासन की अधिसूचना संख्या 963/टप्प्/680–श्रम/2002 दिनांक 25 जून, 2005 द्वारा प्रख्यापित किये गये हैं तथा जिन्हें विधानसभा के पटल पर दिनांक 20.10.2005 को विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया है।

2– आप अवगत हैं कि उत्तरांचल मे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य यथा–टिहरी बांध परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, सुरंग निर्माण, विभिन्न सड़क और पुल निर्माण, जल–कल अभिनिर्माण, भवन निर्माण, मरम्मत, ध्वस्तीकरण, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन आदि अनेक निर्माण संक्रियाएं सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों तथा निगमों , ठेकेदारों/संस्थाओं, फर्मों, कम्पनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन निर्माण कार्यों में कार्यरत निर्माणी मजदूरों को सदैव ही जान–माल और अंग–भंग का खतरा बना रहता है क्योंकि उनकी कार्य की प्रकृति कठिन और खतरनाक है। इतना ही नहीं उनका रोजगार भी आकस्मिक प्रकृति का होता है। मालिक मजदूर का सम्बन्ध कार्य की निरंतरता तक सीमित

रहता है, उनके कार्य के घण्टे अनिश्चित होते हैं, कार्यस्थलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव होता है।

3— उक्त अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित नियमावली इन्हीं श्रमिकों के कल्याण के लिये बनाई गयी है, जिनको कार्यान्वित करने का प्रदेश सरकार का न केवल विधिक दायित्व है अपितु नैतिक कर्तव्य भी है। चूंकि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली भी प्रवर्त्त हो गयी है, अतः प्रदेश में उक्त के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

<u>अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैंः—</u>

1. 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी स्थापनों तथा अधिष्ठानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण।
2. लाभार्थी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु के निर्माण कर्मकारों के पंजीयन की अनिवार्यता एवं उन्हें पहचान पत्र दिया जाना।
3. पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों को पेंशन, निशक्तता पेंशन, भवन क्रय अथवा भवन निर्माण हेतु अग्रिम, औजार क्रय करने हेतु ऋण, अन्त्येष्टि सहायता, मृत्यु पर कर्मकार के आश्रित को सहायता, शिक्षा एवं विवाह हेतु आर्थिक सहायता, कुटुम्ब पेंशन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृका हितलाभ आदि विभिन्न हितलाभ उपलब्ध कराने हेतु राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन।
4. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार निधि का गठन, जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण, लाभार्थियों द्वारा दिया गया अंशदान तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से जैसे उपकर (**बमे**) के रूप में बोर्ड को प्राप्त धनराशि जमा होगी ।
5. **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (कल्याण उपकर अधिनियम, 1996)** की धारा 3 के साथ पठित केन्द्र सरकार के आदेश संख्या ेः2899 दिनांक 26.9.96 के अन्तर्गत निर्माण अधिष्ठानों के सेवायोजकों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्माण कार्य के लागत का 1(एक) प्रतिशत उपकर (**बमे**) के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि जिसमें संग्रह व्यय कम करते हुए बोर्ड को भुगतान किया जाना।
6. निर्माणी कर्मकारों के कार्य के घण्टे, ओवर टाइम, साप्ताहिक अवकाश तथा कार्यस्थल पर पीने के पानी और शौचालय, शिशु गृह, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा नियोजित किये गये कर्मकारों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख—रखाव, तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान।

7. अधिनियम के क्रियान्वयन, प्रशासन और प्रवर्तन हेतु वैधानिक निकाय और प्राधिकारी यथा—राज्य कल्याण बोर्ड, राज्य सलाहकार समिति, मुख्य निरीक्षक भवन और अन्य सन्निर्माण निरीक्षण, निरीक्षक, अपीलीएट ऑथोरिटी आदि के गठन एवं नियुक्ति की वैधानिक औपचारिकताएं भी पूर्ण कर उन्हें अधिसूचित किया जा चुका है अथवा तत्सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है। उपकर निर्धारण अधिकारियों की अधिसूचना भी शीघ्र जारी की जा रही हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य को भारत सरकार द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके अनुश्रवण हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्पेशल ग्रुप का गठन किया गया है और इस संदर्भ में समय–समय पर आयोजित बैठकों में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की सूचना प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली का क्रियान्वयन तत्परता से किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ विभागों, निगमों/संस्थाओं तथा निकायों को निर्देश देने का कष्ट करें और इस दिशा में हुई प्रगति की सूचना से श्रम विभाग को भी अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।